न्यायालय कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम म0प्र0

प्र0क0 25 /144 सीआरपीसी एक्ट/जा.फौ./2020

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम से प्राप्त पत्र कमांक/पु0अ0/रत/जिविशा0/ 550/2020/ दिनांक 06.07.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि रतलाम जिला राजनैतिक एवं साम्प्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में है। सोशल मीडिया जैसे व्हाटसअप, फेसबुक/ट्विटर आदि के माध्यम से सामाजिक ताने–बाने को तोडने एवं विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष/वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह–तरह के आपत्ति जनक संदेश, चित्रों व विडियो एवं आडियो मैसेज/सूचना प्रकाशित किया जाकर दो समुदायों के मध्य वैमनस्यता का वातावरण निर्मित किया जा सकता है। वर्तमान परिपेक्ष्य के मद्देनजर जिले में विभिन्न मुददों को लेकर सोशल मीडिया से असामाजिक तत्वों द्वारा तरह–तरह के आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रों, वीडियों एवं आडियों मैसंज के प्रसारण से वैमनस्यता प्रसारित करने से कानून व्यवस्था की स्थिति एवं आपसी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। रतलाम जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आगामी 02 माह तक कानून व्यवस्था की स्थिति एवं आपसी सामाजिक सौहार्द बिगाडने की सभांवना के मद्देनजर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सोश्यल मीडिया पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 जा.फौ. अंतर्गत आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया।

पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उल्लेखित कारणों के मद्देनजर जिले में असामाजिक तत्वों के कई समूहों द्वारा सामाजिक तानेबाने को तोड़ने, समुदायों के मध्य संघर्ष/वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह–तरह के आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रों, वीडियो एवं आडियो मैसेज के प्रसारण से वैमनस्यता प्रसारित करने से कानून व्यवस्था की स्थिति एवं आपसी सामाजिक सौहार्द बिगाडने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। Face book, Whats App, Twitter आदि social internet Sites पर आपत्तिजनक सामग्री डालने पर उस पर होने वाली Comment / Like करने वाले पर किसी प्रकार दाण्डिक दायित्व अधिरोपित करने के प्रावधान उपलब्ध नही है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि आपत्तिजनक पोस्ट से उतनी वैमनस्यता का संचार नही होता है जितना कि उस पर आये Comment or Cross Comment के कारण होता है। Internet पर एक प्रकार '' वैमनस्यता की अभिव्यक्ति'' ऐसे Post के माध्यम से होती है जिस पर हर कोई बिना विचार किये एवं बिना किसी दायित्व के द्वेषपूर्ण एंव अश्लील शब्द का प्रयोग कर धार्मिक भावनाओं को आह्त करता है। इस प्रकार Internet Social Media Wars अभी भी सक्रिय है जिनसे लोक व्यवस्था एंव सामाजिक शांति भंग हो सकती है। गत् दिनों के घटनाक्रम से स्पष्ट है कि फेसबुक पोस्ट एंव उस पर Comment / Like वाट्सएप पर आपत्तिजनक साम्प्रदायिक संदेश एंव उनकी Forwarding, Twitter

निरंतर 02 पर .....

पर साम्प्रदायिक संदेश आदि से लोक शांति भंग करने में 'Proximate and direct nexus' रखते है। यह आचरण वर्तमान परिवेश में लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है, इस आचरण से उपजी प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति विशेष को अपराध कारित करने के लिये उद्वीप्त (Incite) कर सकती है। इस प्रकार के आचरण तथा संभावित अवांछित [Disruptive] गतिविधियों के लिये किया जा सकता है। इन समस्त कारणों से मानव जीवन व लोक सम्पत्ति की क्षति संभावित है। इस तरह की गतिविधियों से जन सामान्य के स्वास्थ्य व जानमाल को खतरा आसन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोकशांति भंग होने की प्रबल आशंकाएं व्याप्त हो रही है। अतएव इस प्रकार की आसामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

अतः मैं रूचिका चौहान, कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी, जिला रतलाम (म.प्र.) दण्डप्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एंव लोक शांति को बनाये रखने हेतु रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्न लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करती हूँ :–

रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाक्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, संदेश करने पर, साम्प्रदायिक संदेश एंव उनकी Forwarding, Twitter, Face book, Whats App इत्यादि Social Media पर साम्प्रदायिक संदेश आदि करने से Post पर Comment करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है।

चूंकि यह आदेश जन सामन्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नही है, कि जन सामान्य व इससे सम्बंधित सभी पक्षो को उक्त सूचना की तामिली की जा सके। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंधन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा। यह आदेश दिनांक 06/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया। उक्त आदेश आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लधंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

(रूचिका चौहान)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला रतलाम (म.प्र.)

निरंतर 03 पर.....

प्र0क0 25 /144 सीआरपीसी एक्ट/जा.फौ./2020

पृ.क्रमांक/1883 /आर–2/एडीएम/2020 रतलाम, दिनांक 06 .07.2020

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, म0प्र0 शासन, गृह विभाग भोपाल
2– आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन
3– पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन रेंज उज्जैन
4– पुलिस उप महानिरीक्षक रतलाम रेंज रतलाम की ओर सूचनार्थ ।
5– पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम
6– अनुविभागीय दण्डाधिकारी समस्त जिला रतलाम
7– नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम
8– समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला रतलाम
9– समस्त थाना प्रभारी (पुलिस) जिला रतलाम
10– समस्त तहसीलदार एंव कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11– सहायक संचालक, जनसंपर्क जिला रतलाम की और प्रकाशनार्थ ।

जिला दण्डाधिकारी
जिला रतलाम